न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

बासगीत अपील वाद संख्या– 183/2010–11

मसो0 धनमा देवी वनाम गीता देवी वगैरह

आदेश

20.3.13

प्रस्तुत वासगीत पर्चा अपील अपीलार्थी मसोमात धनमा देवी, पति– गांगो साह द्वारा अंचलाधिकारी, सौरबाजार के वासगीत पर्चा वाद 10/2010–11 में दिनांक– 15.05.2010 को गीता देवी, पति– देवदत्त साह के नाम निर्गत वासगीत पर्चा के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि मौजा– भादा नया खाता– 42, खेसरा नया– 591 का सर्वे खतियान में टायटिल एवं पोजेशन कुन्जी लाल, पिता– लालजी साह, गांगो साह वो पोगल साह वो वानो साह पिता– रसी साह के नाम दर्ज है और अभ्युक्ति कॉलम में गांगो साह, वानो साह एवं विजय साह के पोजेशन में दिखाया गया है तथा इस पर इनका पूर्व से दखल–कब्जा चला आ रहा है। प्लॉट नं0– 591 का आपसी बॅटवारा के तहत 4 डीसमल जमीन गांगो साह के हिस्से में आया, जिस पर गांगो साह घर बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। गांगो साह की मृत्यु हो गयी। उनके परिवार में उनकी पत्नी मसोमात धनमा देवी एवं पॉच पुत्रियॉ– सुकनी देवी, गीता देवी, मुन्नी देवी, चन्दर देवी एवं चन्दुल देवी है जिसमें मसोमात धनमा देवी इस वाद में आवेदिका है, तथा गीता देवी एवं उनके पति प्रतिपक्षी है। पुत्री मुन्नी देवी अपनी मॉ आवेदिका के साथ विवादित जमीन पर रहती है। शेष पुत्री अपने–अपने ससुराल में रहती है। वर्त्तमान में प्रतिपक्षी–2 देवदत्त साह ने वासगीत पर्चा प्राप्त कर लेने की बात कहकर झंझट करना प्रारम्भ कर दिया तो अपीलार्थी अंचल कार्यालय, सौरबाजार जाकर पता किया एवं दिनांक– 27.10.2010 एवं 29.10.2010 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत अपील वाद दायर किया है। भू–स्वामी अपीलार्थी को बिना किसी नोटिस के जानकारी दिये बिना ही गलत ढंग से वासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया है, जो सर्वथा नियम के प्रतिकूल है। अग्रतर कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से कोई स्थलीय जॉच नहीं की गयी और गलत प्रतिवेदन पर पर्चा निर्गत कर दिया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। प्रतिपक्षी नं0–1 एवं 2 पति–पत्नी प्रश्रय प्राप्त रैयत नहीं है तथा मौजा– चन्दौर में नया खाता– 1463 नया प्लॉट –11511, 11512 एवं कुछ अन्य रकवा 5 एकड़ का उनको जमीन है जहॉ वे घर बनाकर रह रहे हैं तथा नया सर्वे में पृथ्वी साह, पिता– कुंजी साह के नाम से खाता– 1463 दर्ज हैं और पृथ्वी साह प्रतिपक्षी–2 देवदत्त साह के दादा है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि वासगीत पर्चा वाद 10/2010–11 मंगवाकर देख लिया जाय तथा अंचलाधिकारी, सौरबाजार द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा को रद्द किया जाय। प्रतिपक्षी–1 विवादित भूमि का हिस्सेदार रहा है तथा उनका एक बड्डे छःवॉ हिस्सा है तब भी उन्होंने जान–बूझकर उक्त विवादित भूमि के सम्पूर्ण वासभूमि का पर्चा नाजायज रूप से प्राप्त कर लिया है। अन्ततः अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, सौरबाजार द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा को निरस्त करने की याचना की है।

प्रतिपक्षी का कहना है कि दिनांक– 15.05.2010 को उनके नाम से विधिवत पर्चा निर्गत किया गया है। अपीलार्थी धनमा देवी ने दिनांक– 29.05.2010 को उक्त जमीन की बिक्री कर दी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत नहीं है। नया खाता–42 प्लॉट नं0– 591 रकवा –12 डीसमल का कुंजी लाल को धोखा देकर वासगीत पर्चा प्राप्त किये है।

राज्य की ओर से सरकारी वकील का कहना है कि अपीलार्थी धनमा देवी को अपील करने का अधिकार है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सरकारी वकील को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख से दाखिल कागजातों से स्पष्ट होता है कि विवादी भूमि का खाता नया–42, खेसरा नया–591, रकवा–12 डी0 का हाल सर्वे खतियान कुंजीलाल साह, पिता– लालजी साह, गांगो साह, पोगल साह तथा वानो साह पिता– रसी साह समान के नाम से इन्द्राज है तथा अभ्युक्ति कॉलम में दखल गांगो साह वो वानो साह वो विजल साह अंश समान दर्ज है। गांगो साह की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी मसोमात धनमा देवी एवं पॉच पुत्रियॉ सुकनी देवी, गीता देवी, मुन्नी देवी, चन्दर देवी एवं चन्दुल देवी गांगो साह के उत्तराधिकारी है।

अंचलाधिकारी सौरबाजार द्वारा वासगीत पर्चा वाद सं0– 10/2010–11 में दिनांक 15.05.2010 को गांगो साह की पुत्री गीता देवी पति– देवदत्त साह ग्राम– भादा पो0– रौता, थाना वो अंचल– सौरबाजार के पक्ष में खाता नया 42, खेसरा नया– 591, रकवा– 04 डी0 का वासगीत पर्चा निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है। जो कि BPPHT Act-1947 वो Rules 1948 के प्रावधान के अन्तर्गत नहीं है। गीता देवी न तो प्रश्रय प्राप्त रैयत है और न ही अधिनियम के प्रावधान के अनुकूल किसी अन्य भू–स्वामी वो रैयत के जमीन में बसी हुई थी, बल्कि गांगो साह की पुत्री होने के नाते उनका गांगो साह के सम्पत्ति में हिस्सा हो सकता था।

BPPHT Act-1947 में प्रश्रय प्राप्त रैयत को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है– "Privileged tenant" means a privileged person who holds homestead under another person and is or but for a special contract would be liable to pay rent for such homestead to such person."

अंचलाधिकारी सौरबाजार द्वारा वासगीत पर्चावाद संख्या– 10/2010–11 में दिनांक 15.05.2010 को पारित आदेश अधिनियम के प्रावधान के अनुकूल नहीं होने के कारण अभिलेख को रिमांड करते हुए अंचलाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि BPPHT Act-1947 वो Rules 1948 के तहत उभय पक्षों को सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

20.3.15
समाहर्त्ता,
सहरसा।

H.K.Singh *G:\Dhanma Devi.docx*